अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
रूपांकण, आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल, समस्तीपुर।

प्रेस विज्ञप्ति

इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री मनोज महतो ग्राम– बाधा, पोस्ट– सुहद नगर, जिला– बेगुसराय को सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के ज्ञापांक– 2013 दिनांक– 30.06.2025 द्वारा आपके विरूद्ध गठित आरोप पत्र के (लगातार कई वर्षों से अनुपस्थित रहने के कारण) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण) नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के तहत विभागीय कार्रवाई संचालन के प्राप्त निदेश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक– 71 दिनांक– 19.06.2025, पत्रांक– 137 दिनांक– 12.12.2025, पत्रांक– 143 दिनांक– 22.12.2025 एवं पत्रांक– 20 दिनांक– 28.01.2026 द्वारा विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु तिथियाँ निर्धारित करते हुये आपको निदेशित किया गया था आप उपस्थित होकर अपने बचाव के पक्ष में अपना पक्ष रखें, किन्तु अभी तक ना हीं उपस्थित हुये और ना हीं अपना बचाव पक्ष रखें हैं, जो बिहार सरकार कदाचार नियमावली का उल्लंघन है।

प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अन्तिम बार आपको अपना पक्ष रखने हेतु प्रकाशन की तिथि से अगले एक माह तक का अवसर प्रदान करते हुये निदेशित किया जाता है कि आप अधोहस्तक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखें। ऐसा नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध एकतरफा निर्णय यह मानकर ले लिया जायेगा की आपको अपने बचाव के पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

ह०/
अधीक्षण अभियंता,
रूपांकण, आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल, समस्तीपुर।

पत्रांक– 66 समस्तीपुर/ दिनांक– 09.4.2026 /04/2026

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को उक्त सूचना का बिहार राज्य के किन्हीं दो प्रमुख दैनिक समाचार में प्रकाशन करवाने हेतु समर्पित।

Singh
09.04.26

अधीक्षण अभियंता,
रूपांकण, आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल, समस्तीपुर।